

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/श्रम वि०स्था०(1)10-21/2022 श्र०सं०...../बिहार श्रम सेवा (सामान्य)
के श्री चंदन कुमार की श्रम अधीक्षक के पद पर दिनांक 28.04.2023 के प्रभाव से सेवा संपुष्ट
की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-21/2022 श्र०सं०.....48...../पटना-01, दिनांक-08/8/25

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी०
के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/श्री चंदन कुमार, श्रम
अधीक्षक, कैमूर (भभुआ) एवं आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव